MP INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
(Government of Madhya Pradesh Undertaking)

MP Industrial Development Corporation Limited

Azadi Ka Amrit Mahotsav

क्र.167(1)/एमपीआईडीसी/स्था.–से.नि. 17/2024/1962 भोपाल, दिनांक : 13/02/2024

//आदेश//

एमपी इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल में प्रबंधक पद की सीधी भर्ती के लिए जारी विज्ञप्ति अनुसार एम.पी. ऑनलाईन, भोपाल द्वारा आयोजित की गई परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में एम.पी. ऑनलाईन, भोपाल द्वारा उपलब्ध कराई गई चयन सूची सह प्रतीक्षा सूची अनुसार निम्नांकित चयनित अभ्यर्थियों को वेतनमान लेवल–12, रु. 56100–177500 (सातवाँ वेतनमान) में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर प्रबंधक पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए अस्थाई रूप से अगामी आदेश तक एतद्द्वारा एमपी इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, मुख्यालय – 21, अरेरा हिल्स, भोपाल पदस्थ किया जाता है :–

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	आवेदन क्रमांक	प्राप्तांक	वर्तमान पता	श्रेणी
1	श्री वैभव गुप्ता	90230002194	325	मकान नं. बी–28, सहयोग परिसर कॉलोनी, ई–8, त्रिलंगा, भोपाल (म.प्र.) पिनकोड–462039	अनारक्षित
2	श्री अंकित शर्मा	90230000715	322	68, दुष्यन्त नगर, गौतम ऋषि स्कूल के सामने, बोदला पश्चिमपुरी रोड, आगरा (उ.प्र.) पिनकोड–282007	अनारक्षित
3	सुश्री प्रज्ञा राजपूत	90230001303	295	न्यू एकता कॉलोनी, न्यू राजा गैस गोदाम, जनकपुरी, गोल पहड़िया, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.) पिनकोड–474001	अनारक्षित (महिला क्षैतिज आरक्षण)
4	सुश्री प्रगति परिहार	90230000195	252	एमआईजी–65, बी–ब्लॉक, मुखर्जी नगर, विदिशा (म.प्र.) पिनकोड–464001	अनुसूचित जाति
5	श्री ऋषभ नागर	90230000406	246	मकान नं.–7, वार्ड नं.–1, ग्राम दिवटिया गौहरगंज, जिला – रायसेन (म.प्र.) पिनकोड– 464993	अन्य पिछड़ा वर्ग
6	श्री उदयन सिंह बघेल	90230002386	241	ब्लॉक 8, फ्लोर 1, फ्लैट–2, शिवा विस्परिंग वूड्स, सलैया, मिसरोद, भोपाल (म.प्र.) पिनकोड–462026	आर्थिक कमजोर वर्ग
7	श्री रोहित मण्डलोई	90230000472	217	179, रूद्रेश्वर कॉलोनी, बिस्तन नाका, खरगौन (म.प्र.) पिनकोड–451001	अनुसूचित जनजाति
8	सुश्री पायल भाबर	90230000353	216	मकान नं.–93, ग्राम खेडी खुर्द, ठिकरी, बड़वानी (म.प्र.) पिनकोड–451556	अनुसूचित जनजाति (महिला क्षैतिज आरक्षण)

***टीप** :– "रोस्टर के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के 27 प्रतिशत आरक्षण अनुसार 02 ओपन एवं 01 महिला हेतु विज्ञापन जारी किया गया था परन्तु माननीय न्यायालय याचिका क्र.5901/2019 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 14 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं देने हेतु आदेशित किया गया था। उक्त याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय पारित होने तक अन्य पिछड़ा वर्ग की 01 ओपन एवं 01 महिला आरक्षित पद पर चयन प्रक्रिया स्थगित रखी गई है।"

2. उपरोक्त निगम सेवकों की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि निगम सेवा नियम 2017 एवं राज्य शासन के सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम–1961,एवं शासन के अन्य लागू नियमों के अन्तर्गत शासित होगी।

3. नियुक्त निगम सेवक की वरिष्ठता का निर्धारण एम.पी. ऑनलाईन द्वारा उपलब्ध कराई गई चयन सूची की वरीयता अनुसार रहेगा।

4. यह आदेश चयनित अभ्यर्थी द्वारा पुलिस द्वारा किए जाने वाले चरित्र सत्यापन के संबंध में दिये गये शपथ पत्र में दी गई जानकारी के अधीन रहेगा एवं चरित्र सत्यापन के पुलिस प्रतिवेदन में यदि निगम सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।

5. नियुक्त निगम सेवक को आदेश जारी होने के पश्चात् 15 दिवस में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है अन्यथा नियुक्ति आदेश सम्बन्धित निगम सेवक के संदर्भ में निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी।

6. शासकीय/अर्द्ध शासकीय/विभागों/निकायों में कार्यरत अभ्यर्थियों को कर्त्तव्य पर उपस्थिति के पूर्व अपने पूर्व नियुक्तिकर्ता अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7. यह नियुक्ति आदेश उसी स्थिति में प्रभावशील होगा यदि सम्बंधित अभ्यर्थी शारीरिक दृष्टि से योग्य होने का जिला मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करने के समय प्रस्तुत करेगा।

8. संबंधित निगम सेवक को कार्यभार ग्रहण करते समय कार्यालय में अपने मूल दस्तावेज आयु, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि की मूल प्रति के साथ सत्यापित प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होगी। इसकी जाँच उपरांत पदस्थापना कार्यालय के संबंधित अधिकारी मूल दस्तावेज अभ्यर्थी को वापस लौटाएंगे एवं इसमें किसी प्रकार की कोई संदेहास्पद स्थिति निर्मित होती है तो निगम सेवक को कार्यभार ग्रहण नही कराया जाएगा।

9. इस आदेश से नियुक्त निगम सेवक कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संलग्न प्रारुप में चरित्र सत्यापन हेतु शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण स्थल के कार्यालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करेगा।

10. यदि निगम सेवक पदत्याग करना चाहेगा तो वह 01 माह का समयावधि नोटिस अथवा एक माह का वेतन जमा कर सेवा से पृथक हो सकेगा।

11. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम–1994 (क्रमांक 21 सन 1994) के उपबंधों का अधिनियम के उवबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा अधिनियम की धारा–6 की उप धारा (1) उपबंधो का पूर्ण संज्ञान लिया गया है।

(चन्द्रमौली शुक्ला)
प्रबन्ध संचालक

MP INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
(Government of Madhya Pradesh Undertaking)

MP Industrial Development Corporation Limited

Azadi Ka Amrit Mahotsav

पृ.क्र.167(1) / एमपीआईडीसी / स्था.–से.नि. 17 / 2024 / भोपाल, दिनांक : / 02 / 2024

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. मुख्य महाप्रबंधक (स्थापना), एमपीआईडीसीलि., मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर अपेक्षित है कि कृपया चरित्र सत्यापन संबंधी शपथ पत्र की मूल प्रति एवं जिला मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों को मूल प्रमाण पत्र से मिलान करते हुए उन्हें प्राप्त करने के उपरन्त ही कार्यभार ग्रहण सूनिश्चित कराएँ।।
3. कार्यकारी संचालक, एमपीआईडीसीलि, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल / इन्दौर / जबलपुर / ग्वालियर एवं रीवा।
4. मुख्य वित्तीय अधिकारी, एमपीआईडीसीलि., मुख्यालय भोपाल।
5. श्री / सुश्री .... की ओर पालनार्थ प्रेषित तथा सूचित किया जाता है कि आदेश जारी होने के पश्चात् तत्काल निर्धारित कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है अन्यथा नियुक्ति आदेश सम्बन्धित अधिकारी के संदर्भ में निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी।

<u>संलग्न :– चरित्र सत्यापन शपथ पत्र प्रारुप</u>

प्रबन्ध संचालक

SECRETARIAT FOR SINGLE WINDOW SYSTEM
CIN : U51102MP1977SGC001392
21, Arera Hills, Bhopal-462011 M.P. (India)
Tel. : (91) 0755-2571830, 2575618, 3523555, 3523505, E-Mail : helpdesk@mpidc.co.in, Website : www.invest.mp.gov.in